कार्यालय– उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल

संख्याः/टी0ई0टी0(विज्ञप्ति)/ 25 /2011–12 दिनांक 29 अप्रैल, 2011

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (प्रथम) (UTET-I)–2011

बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्राविधानों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (**NCTE**) ने अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, 2010 द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताएं निर्धारित की हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 (n) में परिभाषित सभी प्रकार के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु एन0सी0टी0ई0 के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप अध्यापक पात्रता परीक्षा (**TET**) को अनिवार्य किया गया है। अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु एन0सी0टी0ई0 द्वारा समय–2 पर किये गये परिवर्तन मान्य होंगे। शासनादेश संख्या 288/XXIV/(1) 2011–12/ 2011 दिनांक 6 अप्रैल, 2011 के द्वारा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर (नैनीताल) को उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (प्रथम) को आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसकी परीक्षा दिनांक **10 जुलाई 2011** को राज्य के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में प्रस्तावित है।

इस परीक्षा हेतु ओ0एम0आर0 आवेदन तथा परम्परागत आवेदन पत्र दोनों प्रस्तुत किया जायेगा। ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र नियत शुल्क नकद जमा करने पर उत्तराखण्ड के सभी जनपदों के मुख्य डाकघर एवं अन्य निर्धारित डाकघरों से **दिनांक 16–05–2011** से प्राप्त किया जा सकता है, जिसका उल्लेख **प्रस्तर–6** में किया गया है, तथा परम्परागत आवेदन पत्र विवरण पुस्तिका के साथ संलग्न होगा। आवेदन पत्र प्राप्त एवं जमा करने की अन्तिम तिथि **04 जून 2011 के सायं 5.00 बजे तक** है। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक से **सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल), उत्तराखण्ड पिन कोड– 244715** के पते पर ही भेजा जाना है।

1. <u>अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग हेतु पात्रताः</u>–

(i) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो।

(ii) अभ्यर्थी का नाम प्रदेश के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि/विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि तक विधिवत् रूप से पंजीकृत/नवीनीकृत हो।

(iii) अभ्यर्थी विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने की तिथि से पूर्व भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो तथा तत्संबंधी अभिलेख अभ्यर्थी को प्राप्त

हो चुके हों एवं राज्य में स्थापित किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर चुका हो अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो।

(iv) वह अभ्यर्थी जिसने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी0ए0/बी0एस0सी0 शैक्षिक उपाधि एवं बी0एड0/डी0एड0 (विशेष शिक्षा)/बी0एड0 (विशेष शिक्षा) प्रशिक्षण उपाधि प्राप्त कर ली हो तथा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि तक तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका हो। परन्तु ऐसे अभ्यर्थी केवल 01 जनवरी, 2012 तक कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (**NCTE**) के पत्र संख्या F.No. 61-1/2011/NCTE/N&S दिनांक 01 अप्रैल 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के अनु0जाति, अनु0ज0जाति एवं आरक्षित तथा अनारक्षित श्रेणी के विकलांग अभ्यर्थियों हेतु बी0ए0/ बी0एस0सी0 में न्यूनतम **45 प्रतिशत** अंक होना अनिवार्य है।

(v) **आयु सीमा**– अभ्यर्थी की आयु **01 जनवरी 2011** को **21 वर्ष** से कम न हो। न्यूनतम आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की जायेगी।

2. अध्यापक पात्रता परीक्षा का स्वरूप

अध्यापक पात्रता परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। किसी भी प्रश्न में ऋणात्मक अंक नहीं दिया जायेगा। परीक्षा अवधि 1 घण्टा 30 मिनट की होगी तथा प्रश्नों की संख्या 150 होगी। इनका विभाजन निम्नवत् होगा–

क्र0सं0	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक
1	बाल विकास तथा शिक्षण विज्ञान (चाईल्ड डेवलपमैंट एण्ड पैडॉगोजी)	30	30
2	भाषा प्रथम	30	30
3	भाषा द्वितीय	30	30
4	गणित	30	30
5	पर्यावरण अध्ययन	30	30
योग		**150**	**150**

नोट–

- प्रश्नों का हल ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर देना होगा। सही विकल्प उत्तर वाले गोले को काले बॉल पाइंट पेंन से इस प्रकार भरना होगा कि स्याही गोले से बाहर न फैलने पाये।
- भाषा के प्रश्न पत्र के अलावा अन्य प्रश्नपत्र द्विभाषिक अर्थात हिन्दी तथा अंग्रेजी में मुद्रित होंगे।
- भाषा प्रथम (अध्यापन की भाषा) के रूप में अभ्यर्थी को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा।

- भाषा प्रथम के अन्तर्गत चयनित भाषा के अतिरिक्त हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से किसी एक अन्य भाषा का चयन भाषा द्वितीय के रूप में किया जाना होगा। जो भाषा प्रथम से पृथक होगी।
- बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान से संबंधित प्रश्न 6–11 वयवर्ग के बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम पर केन्द्रित होंगे। जो कमजोर, विकलांग, सामाजिक रूप से पिछड़े इत्यादि विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों की समझ रखने वाले की परख कर सकें ताकि अभ्यर्थी विविध प्रकार के शिक्षार्थियों की विशेषताओं एवं गुणों वाले बच्चों के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक शिक्षक सिद्ध हो सके।
- गणित तथा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न इस प्रकार के होंगे जो कि अभ्यर्थी की विषय की समझ तथा समस्या समाधान की योग्यता एवं शिक्षण विज्ञान की समझ का मूल्यांकन करते हों। प्रश्न कक्षा 01 से कक्षा 05 तक के लिए राज्य द्वारा विहित पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों पर आधारित होंगे।
- प्रश्न पत्र कक्षा 01 से कक्षा 05 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा किन्तु इसका कठिनाई स्तर माध्यमिक कक्षा तक हो सकता है।
- भाषा विषय के प्रश्न अध्यापन माध्यम की समझ, भाषा का अनुप्रयोग, शब्दभंडार, व्याकरण के ज्ञान पर आधारित होंगे। प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण एवं भाषा को समझने की योग्यता पर पूछे जायेंगे।

3. <u>न्यूनतम अर्हता अंक</u>–

अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत होंगे।

नोट– T.E.T. में उत्तीर्ण होने मात्र से किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति/रोजगार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा क्योंकि यह अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु एक अनिवार्य पात्रता मात्र है।

4. <u>अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु अवसर</u>

अध्यापक पात्रता परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी एक या एक से अधिक बार बैठ सकता है। इसके अतिरिक्त उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने अंक सुधारने हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा में पुनः सम्मिलित हो सकता है। अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 07 वर्ष तक होगी। यदि कोई व्यक्ति अध्यापक पात्रता परीक्षा प्राप्त करने की दिनांक से 07 वर्ष के भीतर सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पदों पर सेवायोजित होने में असफल रहता है, तो उसे अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र पुनः प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5. <u>अध्यापक पात्रता परीक्षा की उपयुक्तता</u>

केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 (n) में उल्लिखित सभी विद्यालयों में मान्य होगी। राज्य सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के

अन्तर्गत संचालित सभी प्रकार के विद्यालयों में नियुक्ति हेतु मान्य होंगे। अन्य राज्यों के **T.E.T.** उत्तीर्ण अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

(क). अभ्यर्थी में ऐसी कोई शारीरिक, मानसिक अक्षमता न हो जिससे अध्यापन कार्य बाधित होता हो।

(ख).विज्ञप्ति की तिथि के पूर्व अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताएं पूर्ण करता हो। विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं पर विचार नहीं किया जायेगा। परम्परागत आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्नक करना अनिवार्य है।

1. उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।
2. सेवायोजन पंजीकरण/नवीनीकरण की प्रमाणित छाया प्रति।
3. हाईस्कूल प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।
4. स्नातक उपाधि के तीनों वर्षों के अंक पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।
5. बीटीसी प्रशिक्षण (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) के प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
6. बीटीसी प्रशिक्षणरत रहने का प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।
7. बी0एड0/डी0एड0 (विशेष शिक्षा)/बी0एड0 (विशेष शिक्षा) के प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
8. सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार मजिस्ट्रेट) द्वारा प्रदत्त आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।

(ग) उक्त परीक्षा में अभ्यर्थी को उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर सम्मिलित कराया जा रहा है तथा उनका अभ्यर्थन नितान्त औपबंधिक है। लिखित परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों का परीक्षण/मिलान करने पर वास्तविक तथ्यों के आधार पर अर्हता सूची तैयार की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का अन्य कोई दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

(घ) अधूरे एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे।

6. आवेदन पत्र की प्राप्ति एवं शुल्क विवरण–

(i) राज्य के निम्नलिखित जनपदों के निर्धारित डाकघरों से आवेदन पत्र निर्धारित धनराशि जमा करने पर प्राप्त किये जा सकेंगे, जिसमें **ओ0एम0आर0 (OMR)** एवं **परम्परागत आवेदन पत्र** सम्मिलित हैं। विवरण पुस्तिका के साथ संलग्न आवेदन पत्र पर ही आवेदन करना अनिवार्य है। दोनों प्रकार के आवेदन पत्रों को, विवरण पुस्तिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार भरकर आवेदन पत्र प्रदत्त निर्धारित लिफाफे में बन्द कर अन्तिम तिथि **4 जून 2011** के **सांय 5.00** बजे तक **सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल– पिन कोड–244715** के कार्यालय में मात्र पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों एवं व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कराये गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा वे

निरस्त समझे जायेंगे। उक्त आवेदन पत्र निर्धारित डाकघरों से दिनांक **16 मई 2011** से उपलब्ध होंगे।

क्र0सं0	जनपद का नाम	डाकघर का नाम जहाँ आवेदन पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं।
1	हरिद्वार	डाकघर– हरिद्वार, रूड़की।
2.	देहरादून	डाकघर– देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश।
3.	उत्तरकाशी	डाकघर– उत्तरकाशी,
4	टिहरी	डाकघर– नई टिहरी, नरेन्द्रनगर
5.	पौड़ी	डाकघर– श्रीनगर गढ़वाल, कोटद्वार, पौड़ी,
6.	चमोली	डाकघर – गोपेश्वर, जोशीमठ।
7.	रूद्रप्रयाग	डाकघर – रूद्रप्रयाग।
8.	पिथौरागढ़	डाकघर – पिथौरागढ़, डीडीहाट, धारचूला
9.	चम्पावत	डाकघर – चम्पावत, टनकपुर
10.	अल्मोड़ा	डाकघर – अल्मोड़ा, रानीखेत,
11.	बागेश्वर	डाकघर – बागेश्वर
12.	नैनीताल	डाकघर – नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, धारी।
13.	ऊधमसिंहनगर	डाकघर – रूद्रपुर, काशीपुर,

(ii) आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये रुपया 640/–(रुपया छः सौ चालीस मात्र) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये रुपया 340/–(रुपया तीन सौ चालीस मात्र) विकलांग अभ्यर्थियों हेतु रुपया 240/–(रुपया दो सौ चालीस मात्र) निर्धारित है। अभ्यर्थी जिस श्रेणी के अन्तर्गत सम्मिलित है, वह उसी श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करेगा। भिन्न श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

7. आवेदन पत्र से सम्बन्धित जानकारी–

(क) अभ्यर्थी को ओ0एम0आर0 एवं विवरण पुस्तिका में दिये गये परम्परागत आवेदन पत्र पर ही निर्देशानुसार आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से आवेदन करने पर, आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेंगा। आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारियों को देना अनिवार्य है।

(ख) **परामपरागत आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्रों/अंकपत्रों की छाया प्रति जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो** संलग्न करना अनिवार्य है।

(ग) यद्यपि आवेदन पत्र **सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल – पिन कोड–244715 के कार्यालय** में जमा होने की अन्तिम तिथि **4 जून 2011 सायं 5:00** बजे निर्धारित है, तथापि अभ्यर्थी अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा किये बिना यथाशीघ्र आवेदन पत्र रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से प्रेषित कर दें ताकि विलम्ब के कारण आवेदन पत्र के निरस्तीकरण की सम्भावना से बचा जा सके।

8. <u>लिखित परीक्षा केन्द्र</u>

(i) लिखित परीक्षा हेतु राज्य के सभी 13 जनपदों के विभिन्न शहरों में परीक्षा केन्द्र होंगे, जिनका विवरण एवं कोड इस विज्ञप्ति के **प्रस्तर–11** में दिया गया है। परीक्षा केन्द्र हेतु इच्छित जनपद के शहर का नाम एवं कोड का उल्लेख आवेदन पत्र में अवश्य करें। परीक्षा केन्द्र का आवंटन एक बार हो जाने के पश्चात उसमें किसी भी बदलाव की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जायेगा। परीक्षा के लिए वरीयता के अनुसार चयनित दो शहरों के विकल्प दिये जाने आवश्यक हैं। परीक्षा संस्था द्वारा परीक्षा केन्द्र आवश्यकतानुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है।

(ii) अध्यापक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी को कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। इसका वहन अभ्यर्थी को स्वयं करना होगा।

9. लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र :

अर्ह अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये प्रवेश पत्र लिखित परीक्षा की तिथि पूर्व उनके द्वारा लिखे गये पत्र व्यवहार के पते पर पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा प्रेषित किये जायेंगे। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी का नाम एवं पता, विषय, परीक्षा केन्द्र का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा अवधि एवं अन्य जानकारी होगी। प्रवेश पत्र एवं उपस्थिति सूची में अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर होंगे जिनका मिलान परीक्षा के समय किया जायेगा। लिखित परीक्षा हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियों के नाम उनके आवंटित परीक्षा केन्द्र का नाम, उत्तराखण्ड शासन की वेबसाइट www.**gov.ua.nic.in** में **schooleducation** के **announcements** में उपलब्ध होगा। यदि किसी अभ्यर्थी, जिसका नाम वेबसाइट पर है किन्तु उसे प्रवेश पत्र नहीं मिला है तो वह परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व प्रात 10.00 से 4.00 बजे सांय तक परीक्षा केन्द्र से अपना डुप्लीकेट प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकता है। इस प्रयोजन हेतु अभ्यर्थी को अपने दो फोटो एवं प्रेषित आवेदन पत्र एवं ओ0एम0आर0 की फोटो प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

10. आवेदन पत्र में भरे जाने वाले कोड का विवरण :

(क) भाषा प्रथम का नाम व कोड–

भाषा का नाम	कोड नं0	
हिन्दी	0	1
अंग्रेजी	0	2

(ख) भाषा द्वितीय का नाम व कोड–

भाषा का नाम	कोड नं0	
हिन्दी	0	3
अंग्रेजी	0	4
संस्कृत	0	5
उर्दू	0	6

(ग) लिंग कोड

नाम	कोड नं0
पुरूष	1
महिला	2

(घ) आरक्षण कोड

विवरण	कोड नं0
अनारक्षित	1
अनुसूचित जाति	2
अनुसूचित जनजाति	3
अन्य पिछड़ा वर्ग	4
शारीरिक रूप से विकलांग	5

11. परीक्षा शहर के नाम एवं कोडः

अध्यापक पात्रता परीक्षा की लिखित परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड राज्य के 13 जनपदों के मुख्यालय एवं अन्य शहरों में किया जायेगा। अभ्यर्थी इन शहरों का नाम एवं कोड संख्या वरीयतानुसार भली प्रकार से आवेदन पत्र में यथोचित स्थान पर अंकित करें।

परीक्षा केन्द्र हेतु शहर का नाम	शहर कोड नं0	
हरिद्वार	**0**	**1**
रूड़की	**0**	**2**
देहरादून	**0**	**3**
ऋषिकेश	**0**	**4**
उत्तरकाशी	**0**	**5**
नई टिहरी	**0**	**6**
नरेन्द्र नगर	**0**	**7**
पौड़ी	**0**	**8**
श्रीनगर	**0**	**9**
कोटद्वार	**1**	**0**
गोपेश्वर	**1**	**1**
गौचर	**1**	**2**

परीक्षा केन्द्र हेतु शहर का नाम	शहर कोड नं0	
रूद्रप्रयाग	**1**	**3**
पिथौरागढ़	**1**	**4**
बेरीनाग	**1**	**5**
चम्पावत	**1**	**6**
टनकपुर	**1**	**7**
अल्मोड़ा	**1**	**8**
रानीखेत	**1**	**9**
बागेश्वर	**2**	**0**
नैनीताल	**2**	**1**
हल्द्वानी	**2**	**2**
रूद्रपुर	**2**	**3**
काशीपुर	**2**	**4**

स्थायी निवास के जनपद का नाम तथा कोड

जनपद का नाम	जनपद कोड		
हरिद्वार	1	0	1
देहरादून	1	0	2
उत्तरकाशी	1	0	3
टिहरी	1	0	4
पौड़ी	1	0	5
चमोली	1	0	6
रूद्रप्रयाग	1	0	7

जनपद का नाम	जनपद कोड		
पिथौरागढ़	1	0	8
चम्पावत	1	0	9
अल्मोड़ा	1	1	0
बागेश्वर	1	1	1
नैनीताल	1	1	2
ऊधमसिंहनगर	1	1	3

12. अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक निर्देश :–

अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह **उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा** हेतु पात्रता के सभी मापदण्डों को पूरा करता है। अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही वह आवेदन करे। ओ0एम0आर0 आवेदन एवं परम्परागत आवेदन–पत्र में आवेदन प्रारूप के अनुसार ही विवरण पुस्तिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार सभी तथ्यों को पूर्ण रूप से काली स्याही के बालप्वाइंट पेन से भरें। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये विवरणों को ही अंतिम माना जाएगा। अतः यह अनिवार्य है कि अभ्यर्थी अपनी जाति/वर्ग/प्राप्तांक एवं अन्य अधिमानों की सही जानकारी आवेदन पत्र में यथोचित स्थान पर दें। आवेदन पत्र में दी गई गलत जानकारी या गलत श्रेणी/वर्ग लिखने की स्थिति में या शैक्षिक योग्यता एवं अन्य आरक्षण आदि के प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा और उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी देने पर उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

13. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :–

(1) अभ्यर्थी OMR आवेदन पत्र पर अपनी नवीनतम स्वहस्ताक्षरित एवं परम्परागत आवेदन पत्र पर राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो इस ढंग से चिपकायें कि आधे हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर भी हों। अभ्यर्थी फोटो को स्टैपल अथवा किसी पिन से नत्थी न करें। अभ्यर्थी ऐसे दो समान फोटो अपने पास भी अवश्य रख लें ताकि आवश्यकता पड़ने पर अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया जा सके। ओ0एम0आर0 सीट पर स्टेपल अथवा कोई भी पिन नत्थी न करें। OMR आवेदन निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं और से न मोड़े तथा इस हेतु निर्धारित **लिफाफा नं0–2** में ही रखें। OMR पत्रक भरने से पूर्व OMR पत्रक में दिए गये निर्देशों को पढ़ लें।

(2) अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र स्वयं भरना होगा। आवेदक के हस्ताक्षर, नमूना हस्ताक्षर जहाँ पर भी होने हों, उन सभी स्थानों पर एक ही प्रकार के हस्ताक्षर हों। निर्धारित आवेदन पत्र निर्धारित डाकघरों से निर्धारित शुल्क के नकद भुगतान पर प्राप्त किये जा सकते है।

(3) अध्यापक पात्रता परीक्षा–प्रथम संबंधी विज्ञप्ति आवेदन–पत्र का प्रारूप एवं अन्य विवरण **बेबसाइट** www.gov.ua.nic.in **में schooleducation** के **announcements** पर भी उपलब्ध है।

(4) अभ्यर्थी अपने ओ0एम0आर0 एवं परम्परागत आवेदन पत्रों की एक फोटो प्रति करवाकर अपने पास अवश्य रखें तथा भविष्य में परीक्षा संस्था से किऐ जाने वाले समस्त पत्राचार में उक्त ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र संख्या का उल्लेख अवश्य करें। सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्रों की छाया प्रति प्रदान करने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अधीन प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(5) उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा से संबंधित किसी भी वाद हेतु न्यायालयी क्षेत्राधिकार रामनगर (नैनीताल) होगा।

(6) उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी को मोबाइल/पेजर इत्यादि ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

(7) पूर्नमूल्यांकन एवं सन्निरीक्षा (स्क्रूटनी) हेतु कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेंगा।

नोट–(1) पूर्ण जानकारी बेबसाइट www.**gov.ua.nic.in** में **schooleducation** के **announcements** लॉग आन कर सकते हैं।

(2) कम्प्यूटरीकृत ओ0एम0आर0 पत्रक व विवरण पुस्तिका के साथ संलग्न आवेदन पत्र भी भरा जाना आवश्यक होगा।

दामोदर पन्त
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर नैनीताल।